ग्राम पंचायत बलाणा विकास खण्ड भटियात तहसील सिहुन्ता जिला हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि :-01-04-2014 से 31-03-2017

भाग -एक

1 प्रस्तावना {क}:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत,ग्राम पंचायत बलाणा विकास खण्ड भटियात जिला चम्बा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमति कोशिका देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री संजीव कुमार	23-01-16 से लगातार

सचिव :

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री प्यार चन्द	19-01-13 से 15-09-15
2.	श्रीमति वृन्दा देवी	16-09-15 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम. संख्या	**पैरा स०**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशी {लाखों में }**
1.	6.	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.16
2.	7.	प्राप्त अनुदानों से अधिक व्यय करना	0 .40
3.	7.1	अनुदान राशियों का अवरोधन	17.49
4.	9	निर्माण कार्यों के प्राकलन व माप पुस्तिकाओं को प्रस्तुत न करना	विवरणानुसार
5.	10	निविदाओं को पूल करना	विवरणानुसार
5.	11	औपचारिकता को पूर्ण किए बिना खरीद करना	4.09
6.	12	निर्माण सामग्री का स्टॉक प्रविष्टि न करना	4.15

भाग्रो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बलाणा विकास खण्ड भटियात तहसील सिहुन्ता जिला चम्बा के अवधि 01/4 /2014 से 31/03 /2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँचपरीक्षण,जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है,श्री मुकेश कुमार स्नेही (अनुभाग अधिकारी) द्वारा दिनांक 26-08-2017 से 30 -08 -2017 तक के दौरान पंचायत कार्यालय बलाणा में किया गया। आय कि विस्तृत जाँच के लिए माह 03 /15, 09/15 व 04/16 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिए माह 08/14, 04/15 व 07/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क-

ग्राम पंचायत **बलाणा** विकास खण्ड **भटियात** जिला चम्बा के अवधि 1/4/14 से 31/3/17 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹4000** बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग ,हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: **197 दिनांक 30-08-17** द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत **बलाणा** से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति-

ग्राम पंचायत बलाणा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

{1} स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत बलाणा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	109449	28404	**137853**	419	**137434**
2015-16	137434	26806	**164240**	8787	**155453**
2016-17	155453	47042	**202495**	17357	**185138**

{2} अनुदान :-ग्राम पंचायत बलाणा के अवधि 1/4/14 से 31/3/17 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग्न **परिशिष्ट -1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	604580	1852028	2456608	1890063	566545
2015-16	566545	486772	1053317	670998	382319
2016-17	382319	4270678	4652997	2903731	1749266

दिनांक 31-3-17 को स्वः स्त्रोत व अनुदान का अन्तशेष (1+2) = 1934404

31-3-16 को बैंक में जमा राशि का विवरण :-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPSCB HATLI	18510103715	710968
2.	----do------	18510106018	190021
3.	PGB HATLI	1307	22941
4.	HDFC DRAMAN	50100166493586	1121641
		cash in hand	133
		TOTAL	**2045704**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹2045704

(ख) दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष:- ₹1934404

अन्तर ₹111300

अन्तर का कारण :-

निम्नलिखित चैक जारी किए गए परन्तु बैंक में 31-03-17 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

क्रम सं	चैक सं	दिनांक	राशि	चैक जिनको जारी किया गया ।
1.	000001	29-03-17	63300	हि०प्र०सिविल सप्लाई कारपोरेशन
2.	715131	29-03-17	12000	बरडू राम
3.	715132	29-03-17	12000	पवन कुमार
4.	715138	29-03-17	12000	लता देवी
5.	715139	29-03-17	12000	गरज सिंह
		कुल जोड़	**111300**	

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना

ग्राम पंचायत **बलाणा** की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्धारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था lसचिव द्वारा उक्त वित्तीय स्थिति तो तैयार की गई परन्तु रोकड़ वही व पास बुकों का मिलान नहीं किया गया था जो कि अंकेक्षण द्वारा स्वयं तैयार किया गया , जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10(1) के

अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अपेक्षित था। अत: पंचायत द्धारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: भविष्य में पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार कर एक भाग आय के लिए तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में तैयार किया जाएगा जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उदेश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति को तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार को तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹ 0.16 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 7 तक पंचायत के राजस्व ₹16350 की वसूली शेष थी ।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	---	13140	13140	0	13140
2015-16	13140	13140	26280	0	26280
2016-17	26280	13140	39420	23070	16350

7 प्राप्त अनुदानों से ₹ 0.40 लाख अधिकव्यय करना :-

पंचायत सचिव **बलाणा** द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट -1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 को अनुदान 3rd state ₹10873,MPLAD **₹28669**कुल **₹39542** इन अनुदान में पर्याप्त राशि न होने के कारण किसी अन्य अनुदानों से व्यय की गई व उक्त शीर्ष अनुदानों के प्राप्त अनुदान से अधिक खर्च किए गए। जो कि अनियमित व गम्भीर मामला है। इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति ली जाए व उचित स्त्रोत से उक्त राशियों को वसूल कर सम्बन्धित शीर्ष में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

7.1 अनुदान ₹17.49 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्धारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट - 1}**के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान **₹1749266** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था,जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव ,ग्राम पंचायत बलाणा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।अत : अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए

8 निर्माण सामग्री की मात्रा न दर्शाने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के बिल/वाउचर की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट -3** के अनुसार रेत, बजरी व पत्थर की ट्रालीयों में खरीद पंचायत द्वारा की गई है परन्तु खरीद की मात्रा बिल में नहीं दर्शाई गई है जिसके आभाव में पत्थर की सही मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी जोकि एक गम्भीर मामला है मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में जाँच हेतु लाया जाता है अत: पत्थर की मात्रा cft के स्थान पर केवल ट्राली दर्शाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन , व माप पुस्तिका प्रस्तुत न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशाशनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से चयनित माह के सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा सभी निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई ,जिसके आभाव में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। अत: निर्माण कार्यों के प्राक्कलन,प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 निविदाओं को pool व अनुचित रूपरेखा ₹3.12 लाख का विक्रय -कर भुगतान करने बारे :-

निम्न लिखित बिल/वोउचरों कि जाँच करने पर पाया गया कि इनके अन्तर्गत कि गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही है :-

(क) स्व स्त्रोत निधि :

(i)वा.सं 35 से 39 माह 7/16 मै० गर्ग इंटरप्राइजेज गग्गल ₹247464 (1960kg सरिया)

(1)मै० मै० गर्ग इंटरप्राइजेज गग्गल :- 94181-05257

(2)मै० कुमार इंटरप्राइजेज गग्गल :- 94181-05257

(3)मै० माया इंटरप्राइजेज गग्गल :- 92656-50000

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त वाउचर के अंतर्गत की गई खरीद से सम्बन्धित निविदाओं पर दो फर्मों का दूरभाष न० एक ही था जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि निविदाओं को pool किया गया है जिसके कारण उक्त खरीदों में बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ नहीं उठाया जा सका, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी प्रकार का अधिक भुगतान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी कि स्वीकृति लेने उपरांत नियमित करवाया जाये।

(ख) उक्त खरीद से सम्बन्धित निविदाएँ की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मो द्वारा दरें विक्रय-कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में **₹11784 की** विक्रय कर अलग से वसूल किया गया। जोकि अनुचित था। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर पंचायत द्वारा उक्त राशि को फर्म से वसूल कर रसीद सं 121488 दिनांक 30-08-17 द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही पंचायत निधि में जमा कर कर दिया गया जिसकी जमा की पुष्टि भी अंकेक्षण द्वारा कर ली गई है भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाए।

(ग) वा.सं 21 माह 09/15 की जाँच करने पर पाया गया कि ₹17428 का भुगतान मै० गर्ग इंटरप्राइजेज गग्गल को स्पोर्ट्स किट हेतु किया गया। उक्त खरीद से सम्बन्धित निविदाएँ की जाँच करने पर पाया गया कि सभी फर्मो द्वारा दरें विक्रय-कर के साथ दर्शाई गई थी जबकि उक्त फर्म द्वारा अपने बिल में **₹830 का** विक्रय कर अलग से वसूल किया गया। जोकि अनुचित था। उक्त विक्रय-कर को उचित स्त्रोत से वसूल कर पंचायत निधि में जमा किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही 4.09 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5)द्वारा स्टॉक /स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट 2** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा 408849 के स्टॉक /स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत बलाणा को अवगत करवाया गया। अत: स्टॉक /स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक /स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 क्रय की गई ₹ 4 .15 लाख निर्माण सामग्री का भण्डार रजिस्टरों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा न प्रस्तुत करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69व 72 (1)(ए,बी,सी,व डी)के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थाई प्रक्रति के अनुरूप फार्म 25 ,26 ,27 ,व 28 में लेखाकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -3**पर **₹414849** की निर्माण सामग्री को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है । जोकि एक गम्भीर मामला है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत बलाणा को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव,ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। बिना स्टॉक प्रविष्टि के अंकेक्षण द्वारा खरीद की पुष्टि नहीं की जा सकी। अत: औचित्य स्पष्ट करते हुए प्राप्ति व उपयोग का अभिलेख पूर्ण कर अंकेक्षण से जांच करवाई जाये अन्यथा यह राशि वसूली योग्य है ।

13 विहित रजिस्टरों /अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव,ग्राम पंचायत बलाणा को अवगत करवाया गया।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टाबर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

14 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 **विविध अनियमितताएं :-**

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

16 **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

17 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(7)7/2017 खण्ड–1–1187–1190 दिनांक 17.02.2018
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बलाणा विकास खण्ड भटियात जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881